



# कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-25/2018-448

दिनांक : 15.06.2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड़डा वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/  
कोडरमा वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन  
प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर  
वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ गढ़वा  
उत्तरी वन प्रमण्डल।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में  
कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के  
अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण वृक्षारोपण  
कार्य का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु **रु0 109.999 (एक करोड़ नौ  
लाख निनानबे हजार नौ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप  
आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-37/2018-20/स्वी0 व0प0 दिनांक  
27.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-33/2020-  
07/आ0 व0प0 दिनांक 27.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406  
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास  
तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22  
में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 109.999 (एक करोड़ नौ लाख  
निनानबे हजार नौ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया  
जाता है:-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड           | (राशि लाख में) |
|---------------------|----------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S24060110140010103 | 109.999        |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S24060110140010323 | 0.000          |
| कुल :-              |                      | 109.999        |

2.

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के  
**अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी  
संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की  
राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110140010103 एवं 19S24060110140010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-पिरपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे

दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं० 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।



(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगे।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018- 448

दिनांक- 15.06.2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-25/2018- 448

दिनांक- 15.06.2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ देवघर/ कोडरमा/ चतरा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ मेदिनीनगर/ लातेहार/ गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| क्र० सं०             | वन प्रमण्डल का नाम        | भौतिक लक्ष्य (हे०) | वित्तीय लक्ष्य |                     |         |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------|
|                      |                           |                    | मजदूरी         | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल     |
|                      |                           |                    | 2272.71        | 0.00                | 2272.71 |
| i                    | ii                        | iii                | iv             | v                   | vi      |
| <b>दुमका रीजन</b>    |                           |                    |                |                     |         |
| 1                    | गोड्डा वन प्रमण्डल        | 400                | 9.091          | 0.000               | 9.091   |
| 2                    | देवघर वन प्रमण्डल         | 300                | 6.818          | 0.000               | 6.818   |
| योग:-                |                           | 700                | 15.909         | 0.000               | 15.909  |
| <b>हजारीबाग रीजन</b> |                           |                    |                |                     |         |
| 1                    | कोडरमा वन प्रमण्डल        | 400                | 9.091          | 0.000               | 9.091   |
| 2                    | चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल   | 400                | 9.091          | 0.000               | 9.091   |
| 3                    | चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल  | 440                | 10.000         | 0.000               | 10.000  |
| योग:-                |                           | 1240               | 28.182         | 0.000               | 28.182  |
| <b>जमशेदपुर रीजन</b> |                           |                    |                |                     |         |
| 1                    | जमशेदपुर वन प्रमण्डल      | 800                | 18.181         | 0.000               | 18.181  |
| 2                    | सरायकेला वन प्रमण्डल      | 400                | 9.091          | 0.000               | 9.091   |
| योग:-                |                           | 1200               | 27.272         | 0.000               | 27.272  |
| <b>पलामू रीजन</b>    |                           |                    |                |                     |         |
| 1                    | मेदिनीनगर वन प्रमण्डल     | 500                | 11.363         | 0.000               | 11.363  |
| 2                    | लातेहार वन प्रमण्डल       | 400                | 9.091          | 0.000               | 9.091   |
| 3                    | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल | 400                | 9.091          | 0.000               | 9.091   |
| 4                    | गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल  | 400                | 9.091          | 0.000               | 9.091   |
| योग:-                |                           | 1700               | 38.636         | 0.000               | 38.636  |
| सकल योग:-            |                           | 4840               | 109.999        | 0.000               | 109.999 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

## योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण


(Open Forest (10-40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

311.33

कार्य दर प्रति हे०

| क्र० सं० | कार्य का विवरणी  | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | सामग्री (रु० में) | कुल व्यय (रु० में) | अभियुक्ति   |
|----------|--|------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|---|
| i        | ii   | iii  | iv        | v                | vi                | vii                | viii  |
| (A)      | वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33 |      |           |                  |                   |                    |   |
| 1        | सुरक्षा एवं संपोषण   |      | 7.30      | 2272.71          | 0.00              | 2272.71            | घेरान, कंटूर ट्रेच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/सिंगलिंग |
|          | योग-   |      | 7.30      | 2272.71          | 0.00              | 2272.71            |   |

  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
 झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/448

दिनांक - 15-Jun-2021

| क्रमांक | विषय कोड   | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि   |
|---------|--|----------|---|---|
| 1       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26543    | GDDFOR164<br><br>PATRUNI RAJENDRA<br>NAIDU<br>DFO GODDA FOREST<br>DIVISION<br><br>03 - मजदूरी | 909,100.00<br><br>रुपये नौ लाख नौ हजार एक सौ        |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |          |   |   |
| 2       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26544    | DGRFORE88<br><br>RAJ KUMAR SAH<br><br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO.<br><br>03 - मजदूरी              | 681,800.00<br><br>रुपये छः लाख इक्क्यासी हजार आठ सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |          |   |   |
| 3       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26545    | KDMFORA01<br><br>SURAJ KUMAR SINGH<br><br>D.F.O. KODERMA<br><br>03 - मजदूरी                   | 909,100.00<br><br>रुपये नौ लाख नौ हजार एक सौ        |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |          |   |   |

योग: रुपये पच्चीस लाख

2,500,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि                                      |
|---------|--|----------|--|--|
| 4       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26546    | CTRFOR002<br>R.THANGA PANDIAN<br>D.F.O, NORTH DIV.<br>CHATRA<br>03 - मजदूरी              | 909,100.00<br>रुपये नौ लाख नौ हजार एक सौ         |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |          |  |  |
| 5       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26547    | CTRFOR003<br>SURENDRA PRASAD<br>SUMAN<br>D.F.O. SOUTH DIVN.<br>CHATRA<br>03 - मजदूरी     | 1,000,000.00<br>रुपये दस लाख                     |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |          |  |  |
| 6       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26548    | JSRFOR051<br>MAMTA PRIYADARSHI<br>(I.F.S)<br>D.F.O.JAMSHEDPUR<br>PRM.JSR.<br>03 - मजदूरी | 1,818,100.00<br>रुपये अठारह लाख अठारह हजार एक सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |          |  |  |

योग: रुपये बासठ लाख सत्ताइस हजार दो सौ

क्रमिक योग:

3,727,200.00

6,227,200.00

(NAND KASHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

RANCH



| क्रमांक | विषय कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि   |
|---------|--|-----------|--|---|
| 7       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिविकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिविकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26549     | SKLFOR001<br>ADITYA NARAYAN<br>D. F. O.<br>SERAIKELLA-KHARSA<br>WAN<br>03 - मजदूरी | 909,100.00<br>रुपये नौ लाख नौ हजार एक सौ            |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |           |  |   |
| 8       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिविकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिविकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26550     | PLMFOR070<br>RAHUL KUMAR IFS<br>D.F.O.MEDININAGAR.<br>OREST.DIV.<br>03 - मजदूरी    | 1,136,300.00<br>रुपये ग्यारह लाख छत्तीस हजार तीन सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |           |  |   |
| 9       | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिविकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिविकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26552     | LTRFOR001<br>RAUSHAN KUMAR<br>DFO FOREST DIV<br>LATEHAR<br>03 - मजदूरी             | 909,100.00<br>रुपये नौ लाख नौ हजार एक सौ            |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |           |  |   |

योग:

रुपये इनकानवे लाख इक्कयासी हजार सात सौ

2,954,500.00

क्रमिक योग:

9,181,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि                                  |
|---------|--|-----------|---|--|
| 10      | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिविकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिविकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26553     | GRHFWL004<br><br>SHASHI KUMAR<br><br>D.F.O. SOUTH<br>DIV.GARHWA<br><br>03 - मजदूरी        | 909,100.00<br><br>रुपये नौ लाख नौ हजार एक सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |           |   |  |
| 11      | S 19 24060110140010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिविकल्चर ऑपरेशन<br>01-सिविकल्चरल ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 26555     | GRHFWL001<br><br>DILEEP KUMAR YADAV<br><br>D.F.O. NORTH DIV.<br>GARHWA<br><br>03 - मजदूरी | 909,100.00<br><br>रुपये नौ लाख नौ हजार एक सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA   |           |   |  |

योग:

रुपये एक करोड नौ लाख निम्नानवे हजार नौ सौ

1,818,200.00

क्रमिक योग:

10,999,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH